प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –297/2023

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र मांगेराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।

– वादी

बनाम्

1. गंगा पुत्री दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
2. संतोष पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
3. जसवन्त सिंह पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
4. शारदा पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
5. अनिता रानी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 334/330 के कुल किता 4 का कुल क्षेत्रफल 16.3750 है0 भूमि में मृतक मांगीलाल पुत्र दानाराम का 468/16375 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम 6/16375 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की [illegible] है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible] के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादी

व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा जबरासर जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता स0 334 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगीलाल प्रदर्श–2, दरख्वास्त तहसीलदार टोहना प्रदर्श–3, वारिसनामा प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 334/330 के कुल किता 4 का कुल क्षेत्रफल 16.3750 है0 भूमि में मृतक मांगीलाल पुत्र दानाराम का 468/16375 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम 6/16375 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक आदेश ...

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:30 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 334/330 के कुल किता 4 का कुल क्षेत्रफल 16.3750 है0 भूमि में से 468/16375 हिस्सा में मृतक मांगीलाल पुत्र दानाराम का नाम कलमजन किया जाकर व 6/16375 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –297/2023

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र मांगेराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।

– **वादी**

बनाम्

1. गंगा पुत्री दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
2. संतोष पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
3. जसवन्त सिंह पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
4. शारदा पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
5. अनिता रानी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल ललौदा तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 297 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 334/330 के कुल किता 4 का कुल क्षेत्रफल 16.3750 है0 भूमि में से 468/16375 हिस्सा में मृतक मांगीलाल पुत्र दानाराम का नाम कलमजन किया जाकर व 6/16375 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...10/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:30 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–.जबरासर